राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

प्रकरण कमांक निगरानी 1543-I-15 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-6-15	प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी तहसीलदार ओरछा के प्रकरण क्रमाँक 25/अ–6/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 25–02–2015 के विरूद्ध म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 की धारा–50 एवं संशोधन अधिनिमय के तहत प्रस्तुत की गई है। 2. प्रकरण तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण चाहा था जिसे कमिश्नर सागर के प्रकरण कमांक 359/अ–6/13–14 आदेश दिनांक 02.12.2014 में 60 दिवस का स्थगन दिये जाने तथा उसकी प्रचलनशीलता पर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निग./1514 वर्ष 15 दिनांक 5.2.15 को दिए गए तीन माह के स्थगन के आधार पर प्रकरण निरस्त किए जाने से नायब तहसीलदार ओरछा के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं। 3. आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया है कि निगरानी के विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य नहीं है। इस न्यायालय द्वारा विक्रेता मायादेवी के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया गया था। विक्रेता द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र पर नामांतरण हेतु सहमति दी हैं। वर्तमान में किसी भी न्यायालय या व्यवहार न्यायालय द्वारा नामांतरण पर कोई रोक नहीं है। वरिष्ठ न्यायालय द्वारा यदि कोई आदेश पारित किया जाता हैं तो उसके अनुसार रिकार्ड सुधार किया जावेगा। 4. आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 1/स्वमेव निग./12–13 पारित आदेश दि. 22.5.14 में मायादेवी के पक्ष में नामांतरण के आदेश दिए गए है। मायादेवी द्वारा आवेदक को किए गए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 31.5.14 व 13.6.14 के आधार पर नामांतरण चाहा था। अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश स्वमेव निगरानी के तहत पारित किया गया पाया जाता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार ओरछा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.2.15 निरस्त करते हुए उन्हें निर्देश दिए जाते है कि, प्रकरण में नामांतरण की कार्यावाही विधि अनुसार करें। उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती हैं आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	

[कृ. प. उ.

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर कैम्प सागर

निगरानी 1543-I-15

1. अनुदीप अग्रवाल तनय अनूप अग्रवाल
2. गरीबदास तनय किशोरी प्रजापति
   निवासी – जिला झांसी उ.प्र. ___आवेदकगण

//विरूद्ध//

म.प्र. शासन ___अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार

उपरोक्त आवेदकगण ने न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार ओरछा, जिला टीकमगढ (म.प्र.) के प्रकरण क्रमाँक 25/अ–6/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 25–02–2015 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है–

1. यह कि प्रकरण का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर टीकमगढ़ की स्वमेव निगरानी प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 22–5–2014 को प्रकरण का निराकरण किया जाकर भूमि मायादेवी के नाम नामांतरित किए जाने का आदेश पारित किया गया। मायादेवी द्वारा आदेश में उल्लेखित भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.5.14 एवं 13.6.14 के आधार पर क्रय की गई। जिसके नामांतरण हेतु आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे खारिज किए जाने से यह निगरानी संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तुत की जा रहीं है।

2. यह कि, आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

3. यह कि, श्रीमान् अपर कलेक्टर टीकमगढ द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/स्वमेव निग /12–13 पारित आदेश दिनांक 22.5.14 की प्रति का अवलोकन कर पायेंगे कि पारित आदेश स्वमेव निगरानी के तहत पारित किया गया है जिसमें विक्रेता मायादेवी के पक्ष में नामांतरण के निर्देश दिये गये है। आवेदक द्वारा उपरोक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर क्रय की है। उपरोक्त आदेश दिनांक 22.5.2011 के विरूद्ध